



2026:AHC-LKO:5135-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 312 सन 2026**

प्रियदर्शिनी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: सुयश गुप्ता, अभिषेक कुमार, अतिशय बाजपेयी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अभिषेक खरे, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुश्री रितिका सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अपना 'वकालतनामा' दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
3. इस याचिका के माध्यम से यह प्रार्थना की गई है कि जिलाधिकारी, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव द्वारा दिनांक 23.09.2025 को जारी वसूली प्रमाण पत्र को निष्पादित करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 से 11,77,595/- रुपये की राशि की वसूली का निर्देश दिया गया है।
4. रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 10 में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.05.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है, जिसके तहत दिनांक 23.09.2025 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। लखनऊ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खरे का कहना है कि वे 04.05.2024 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का प्रस्ताव रखते हैं।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, इस याचिका का अंतिम **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि जिलाधिकारी, लखनऊ, दिनांक 23.09.2025 के वसूली प्रमाण पत्र को इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निष्पादित करें, जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो, ऐसी स्थिति में वे याचिकाकर्ता को उपरोक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित करें।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 22, 2026

प्रवीण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।